

29/9/25

को पेश हो। ४

पत्रांक पेश हुई। वक्तु उपर दावा अदम पेश की
मे' श्वारिज किया जा चुका है। अतः प्राण पत्र
212 RTI का चलाने का कोई औचित्य
नहीं है। अतः प्राण पत्र 212 RTI रसी
स्तर पर श्वारिज किया जाता है। पत्रांक
पैसल्य शुमार लेकर कारिखल दफतर हो।

